न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 53/2019

खींवकरण पुत्र सांवलराम जाति मीणा निवासी छापोली तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोंडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी सरकार बनाम खींवकरण अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 13/2019 निर्णय दिनांक 26.08.2019

उपस्थितिः—

1 श्री द्वारका प्रसाद वर्मा, एडवोकेट ——————— ———अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट———————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 10.09.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.08.2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम खींवकरण मु0नं0 13/2019 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— पटवारी हल्का छापोली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि ग्राम छापोली के भूमि खसरा नंबर 3375 कुल रकबा 0.66 हैक्टर किस्म गैर मु0 चारागाह में से रकबा 1178 वर्ग फुट पर अपीलांट द्वारा चार पुख्ता दुकान निर्माण कर अवैध अतिक्रमण कर रखा है । अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलांट नें अपना जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू राजस्व अधि0 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी मानते हुये बेदखली आदेश दिया गया। अपीलांट तथाकथित जमीन पर काबिज नहीं है। उक्त भूखण्ड अपीलांट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.10 16:59:50 IST
Reason: SelfAttested

कब्जे व स्वामित्व का है। अपीलांट के पिता के हक में दिनांक 19.01.1975 में तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति उदयपुरवाटी द्वारा अपीलांट के पिता के कब्जे के अनुसार पट्टा जारी किया गया था। उक्त भूखण्ड पहले अपीलांट के पूर्वज के कब्जा व स्वामित्व में था। अपीलांट के पिता के देहान्त के बाद उक्त भूखण्ड अपीलांट के कब्जे व स्वामित्व में है तथा 150 वर्गगज जमीन के अलावा अपीलांट का लगातार कब्जा व स्वामित्व में है। उक्त भूखण्ड पर अपीलांट के पिता के नाम कई वर्षों से बिजली व पानी के कनेक्शन स्थापित हैं जो ग्राम पंचायत की एन.ओ. सी के पश्चात विधिवत रूप्स से स्थापित हैं। उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं कर आलौच्य निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का तथा अपीलांट के कोई बयान नहीं लिये गये। प्राकृतिक सिद्धांतों की पालना नहीं की गई। अपीलांट अतिक्रमी की संज्ञा में नहीं आता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 26.08.2019 को निरस्त किये जाने का आदेश किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– अपीलांट तथाकथित जमीन पर अतिक्रमी नहीं है। उक्त भूखण्ड अपीलांट के कब्जे व स्वामित्व का है। अपीलांट के पिता के हक में दिनांक 19.01.1975 में तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति उदयपुरवाटी द्वारा अपीलांट के पिता के कब्जे के अनुसार पट्टा जारी किया गया था। उक्त भूखण्ड पहले अपीलांट के पूर्वज के कब्जा व स्वामित्व में था। अपीलांट के पिता के देहान्त के बाद उक्त भूखण्ड अपीलांट के कब्जे व स्वामित्व में है तथा 150 वर्गगज जमीन के अलावा अपीलांट का लगातार कब्जा व स्वामित्व में है। उक्त भूखण्ड पर अपीलांट के पिता के नाम कई वर्षों से बिजली व पानी के कनेक्शन स्थापित हैं जो ग्राम पंचायत की एन.ओ.सी के पश्चात विधिवत रूप्स से स्थापित हैं। उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं कर आलौच्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.10 16:59:50 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का तथा अपीलांट के कोई बयान नहीं लिये गये। प्राकृतिक सिद्धांतों की पालना नहीं की गई। अपीलांट अतिक्रमी की संज्ञा में नहीं आता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 26.08.2019 को निरस्त किये जाने का आदेश किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि हल्का पटवारी छापोली की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट व ग्राम छापोली के भूमि खसरा नंबर 3375 कुल रकबा 0.66 हैक्टर किस्म गैर मु0 चारागाह में से रकबा 1178 वर्ग फुट पर अपीलांट द्वारा चार पुख्ता दुकान निर्माण कर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी ग्राम छापोली की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम छापोली की भूमि खसरा नंबर 3375 कुल रकबा 0.66 हैक्टर किस्म गैर मु0 चारागाह में से रकबा 1178 वर्ग फुट पर चार पुख्ता दुकान निर्माण कर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट द्वारा पुराने कब्जे के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैद्य साबित होता हो । चारागाह भूमि में पट्टे जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत या पंचायत समिति को प्राप्त नहीं हैं। अपीलांट द्वारा विवादित भूमि के संबंध में आवंटन अधिकारी द्वारा 150 वर्गगज पट्टा जारी होने की फोटो प्रति प्रस्तुत की जो सत्यापित नहीं है और साक्ष्य में ग्रह्य नहीं है । विवादित भूमि चारागह भूमि होने से नियमन योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 26.08.2019 मु. नं. 13/2019 सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.10 15:59:50 IST
Reason: SelfAttested

बनाम खींवकरण यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 10.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.10 16:59:50 IST
Reason: SelfAttested